

सेवा में

श्री शिव साई इन्फार्मेटिक्स लि०,  
 परम प्रकाशानन्द रोड, झौसागाड़ी,

देवघर।

विषय:- श्रीजा-झौसागाड़ी, एचट नं०-T.P.P. 31(Part), खाला संख्या-659, बार्ड नं०-24,  
 खाना-देवघर में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक

सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रमाणी अग्निशामनालय पदाधिकारी, देवघर से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापक-490 दिनांक-31.12.18 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुरोधों के आलोक में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम एक लॉन्ग लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।

2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशामन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection का निर्माण कराया जाय।

3. अग्निशामन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले टैरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।

4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनो स्टैयरकेस लॉबी में एक-एक बेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तल पर 30-30 सी० लम्बा होजरील होज तथा 63mm जया वाले हिलिबरी

आउटलेट का संस्थापन कराया जाय।

5. दोनो स्टैयरकेस लॉबी में प्रत्येक तल पर दो-दो अदद हिलिबरी होज एवं एक-एक अदद शॉव विद्य नोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।

6. प्रस्तावित भवन के लॉअर ग्राउण्ड एवं अपर ग्राउण्ड में स्वचालित स्प्रिंकलर विद्य अलार्म गैंग का संस्थापन कराया जाय।

7. सतही एवं प्रथम तल पर पाकिंग प्रस्तावित है। यदि इन दोनो तलों को Covered बनाये जाने का प्रस्ताव हो तो इन तलों में भी स्वचालित स्प्रिंकलर विद्य अलार्म गैंग का संस्थापन कराया जाय।

8. अग्निशामन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।

9. समान क्षमता डोजल वाला प्रस्तावित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

10. लॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

11. 900Lpm क्षमता वाले टैरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।

12. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से ही कराया जाय।

13. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी०सी०पी० अग्निशामन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

14. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।

15. भवन के सभी तलों के मुख्य स्टेयरकेस लॉबी में कम से कम दो घंटा आग्निरोधी स्वचालित फायर

चोक लॉर का संस्थापन कराया जाय।

16. कम से कम एक लिफ्ट का निर्माण फायर लिफ्ट के ऊपर से अवश्य कराया जाय, जिसकी क्षमता

544 केजी से कम की नहीं हो तथा सतही तल पर फायररैन स्विच संस्थापित हो।

17. फायर लिफ्ट को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।

18. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास शीवण फायर सर्विस इन्जिन का संस्थापन कराया जाय।

19. भवन के सामनेवाले भाग में दोनों तरफ एक-एक याड्डे हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।

20. दोनों याड्डे हाईड्रैण्ट के पास दो-दो अदद डिजिटरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल

सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।

21. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की

जाय, जिसका कॉल वाइडट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेस लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

22. भवन में मानक के अनुरूप लड्डित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

23. मानक के अनुरूप रिफ्यूज एरिया का निर्माण कराया जाय।

24. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाहिर नहीं किया

जाय, ताकि आग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

25. बिजली के मैन स्विच बोर्ड के पास 04.5 केजी क्षमता के 02-02 अदद स्फीओटॉट तथा 06

केजी क्षमता के 02-02 अदद डीसीओपीओ आग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

26. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में 12 मीटर चौड़ा ठोस समतल एवं खुला स्थान हर समय

उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में Hydraulic Platform से आग्निशमन

अथवा बचाव कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

27. भवन की उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये आग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का

विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेनी साध्य हो

आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेगी कि आग्निशमन सेवा

मुख्यालय के द्वारा किये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह कया लिया गया है।

28. आग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से किये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये

जाने एवं जाँच में संतोषपद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।

29. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में

बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेगी।

30. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन

किया जाय।

RAM KRISHNA  
THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR  
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217,  
st=JHARKHAND,  
serialNumber=0d4b6c6bb1f849102744c64e9  
605c5e93ebbae15a446839d2aa85f8e9395d45,  
cn=RAM KRISHNA THAKUR  
Date: 2018.12.31 18:24:12 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर),

प्रभाठी अपर राज्य आग्निशमन पदाधिकारी,

झारखण्ड, राँची।